न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

आर0 एम0 ए0 वाद सं0–01/2018
(03/2007)
हिंगाई सोरेन–बनाम–गोपाल दत्त

आदेश

की या ब	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
	02	03
	यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय के एम0आर0ए0 वाद सं0–03/2007 में दिनांक–08.08.2018 को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को सुनवाई एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ है। दिनांक–30.04.2025 को उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर कहा गया कि इस मामलें में आपसी समझौता हो गया है। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मूल आवेदक की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके पुत्र के द्वारा संयुक्त सुलहनामा आवेदन में अपना हस्ताक्षर अंकित किये है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया। उभय पक्ष द्वारा दाखिल–Joint Compromise Petition का अवलोकन किया गया। Joint Compromise Petition स्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित। 30/04/25 अपर समाहर्त्ता, पाकुड़। 30/04/25 अपर समाहर्त्ता, पाकुड़। Digitally signed by JEMES SURIN Date: 2025.07.16 15:25:46 +05:30 Location: 192.168.0.114	

Scanned with OKEN Scanner